Result Mitra Daily Magazine

Shrinking of Eco Sensitive area in Western Ghats

हालिया संदर्भ

- हाल ही में भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संचय में एके अधिसूचना जारी की है।
- इस मसौदा अधिसूचना में केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट के छह राज्यों में से तीन राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी घाटों की रक्षा के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों (Eco sensitive zone) का प्रस्ताव दिया है।
- संबंधित राज्यों ने पश्चिमी घाट में विस्तृत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र(ESZ) में कमी की मांग की है।
- मंत्रालय द्वारा जारी किया गया वर्तमान मसौदा का पहला संस्करण मार्च 2014 में जारी किया गया था, हालांकि इस पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है।
- इस वर्ष जून में मसौदे की समय सीमा खत्म होने वाली है लेकिन विशेषज्ञ समिति सितंबर तक अपना रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी।
- इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता पूर्व वन महानिदेशक संजय कुमार ने की है जिसे जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया था।
- कर्नाटक ने प्रस्तावित मसौदे का विरोध यह कहकर किया कि इससे लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।
- वहीं दूसरी ओर गोवा भी प्रस्तावित 1461 वर्ग किलोमीटर में लगभग 370 वर्ग किलोमीटर की कमी की मांग कर रहा है।

Result Mitra

पश्चिमी घाट (Western Ghats)-

- पश्चिमी घाट यानि साहद्रि एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 1600 किलोमीटर तक फैली है।
- लगभग 160,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल एवं तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है।
- पश्चिमी घाट दक्षिण में नीलगिरी के पूर्वी घाट से मिलती है।
- पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से हुआ।
- पश्चिमी घाट की ऊंचाई में दक्षिण से उत्तर की ओर असमानताएं दिखती हैं, तथा इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर (3,900 फीट) है।
- पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी (8842 फीट) है।
- पश्चिमी घाट भारत के लगभग 40% क्षेत्रों को जल प्रदान करती है।
- पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां दक्कन के पठार के अधिक ऊंचाई के कारण बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं।
- पश्चिमी घाट अरब सागर से पूर्व की ओर बहने वाली मानसूनी हवा को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
- वर्ष 2012 में यूनेस्को इसकी जैव विविधता के कारण 'विश्व धरोहर स्थल' घोषित किया गया।
- पश्चिमी घाट वनस्पतियों और जीवन की अलग-अलग प्रजातियों के साथ वैश्विक रूप से संकटग्रस्त 325 प्रजातियों का घर माना जाता है।

Result M

जैव विविधता-

- पश्चिमी घाट भारत में पाई जाने वाली कुल वनस्पतियों एवं जीवन का लगभग 30 % प्रजातियों का घर होने के साथ एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है।
- पश्चिमी घाट की वनस्पतियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, ऊपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पट्टी वाले नम वन तथा शुष्क पर्णापाती वनों के पारिस्थितिकी तंत्र से मिलकर बना है।
- पश्चिमी घाट लगभग 6000 से अधिक कीट प्रजातियों के साथ-साथ बाघों एवं हाथियों के घर के रूप में जाना जाता है।
- 2022 के आंकड़े के अनुसार पश्चिमी घाट में लगभग 1000 बाघ और 11000 से अधिक हाथियों की आबादी है।

पश्चिमी घाट का संरक्षण-

- पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती मानव गतिविधि जैसे अतिदोहन, अवैध चराई, खनन तथा अवैध शिकार ने इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाया है।
- भारत सरकार द्वारा पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में दो बायोस्फीयर रिजर्व, 13 राष्ट्रीय उद्यान तथा कई वन्यजीव अभ्यारण्य सहित संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।
- अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट की जैव विविधता और पर्यावरणीय मुद्दों का आकलन करने वाली पश्चिमी घाट पर स्थित की विशेषज्ञ पैमल (WGEEP) ने पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया।

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco sensitive zone)-

- पारिस्थितिकी रूप से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां स्थानीय प्रजातियाँ, पौधों और जानवरों की विविधता अधिक होती है।
- किसी भी क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित करने के लिए सरकार वहां की स्थलाकृति, जलवायु, वर्षा, भूमि उपयोग, सड़कें, मानव आबादी, पेड़ पौधे एवं पशुओं की प्रजातियों का अध्ययन करती है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के डेटा का अध्ययन कर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित कर सकती है।
- किसी भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में खनन, रेत उत्खनन, औद्योगिक निर्माण कार्य सहित अन्य मानव गतिविधियों के क्रियान्वयन पर रोक होता है।
- केंद्र सरकार द्वारा पश्चिमी घाट को वर्ष 1988 में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट घोषित किया गया था।

Result Mitra

कस्तूरीरंगम रिपोर्ट-

- वर्ष 2012 में गठित कस्तूरीरंगम आयोग ने गाडगिल रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी घाट में विकास और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कई सिफारिशें की।
- कस्तूरीरंगम आयोग द्वारा पश्चिमी घाट के केवल 37 प्रतिशत हिस्से को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की जबकि गाडगिल रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के 64 % क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव था।
- के कस्तूरीरंगम के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय कार्य समूह पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल(Western Ghats Ecology Expert Panel) ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल एवं तमिलनाडु में फैले 60 हजार वर्ग किलोमीटर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई।
- हालांकि कस्तूरीरंगम आयोग की इस सिफारिश का केरल, कर्नाटक सहित सभी राज्यों ने विरोध करते हुए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र(ESZ) को कम करने के लिए केंद्र सरकार को कहा।
- कस्तूरीरंगम आयोग की सिफारिश में कर्नाटक के 20,688 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र के 17,340 वर्ग किलोमीटर, केरल के 9,933 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु के 6,914 वर्ग किलोमीटर, गोवा के 1461 वर्ग किलोमीटर तथा गुजरात के 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र(ESZ) घोषित करने को कहा गया।

Result Mitra